<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>22.08.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने निबू विंसेंट और अन्य के मामले में 19.08.2025 को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने 4.3 किलोग्राम कोकीन की डिलीवरी के संबंध में गोवा पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी की टीमों ने कई डिजिटल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए और धन शोधन गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। बरामद सामग्री में नशीली दवाओं की तस्करी की आय के वित्तीय स्रोत, अवैध धन को छिपाने के लिए स्तरीकरण तकनीकों के इस्तेमाल, और सिंडिकेट के दूसरे स्तर के रूप में काम करने वाले द्वितीयक संचालकों और सहायकों की संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं। पीएमएलए जाँच से भारत के बाहर के नेटवर्कों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों और संचार के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह गिरोह केवल गोवा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि खरीद और वितरण दोनों के लिए सीमा पार से भी संपर्क रखता था। इसके अलावा, ईडी की जाँच में यह भी पता चला है कि धन के लेन-देन के लिए फर्जी संस्थाओं और बेनामी खातों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाया। जाँच से पता चला कि कुछ विदेशी नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भारतीय नागरिकों की विदेश यात्रा के लिए यात्रा टिकट खरीदने और रसद की व्यवस्था करने में शामिल थे। तलाशी अभियान से यह बात सामने आई कि एक बड़े संगठित गिरोह की भूमिका कई राज्यों और यहाँ तक कि विदेशी न्यायालयों में मादक पदार्थों की तस्करी, रैकेट चलाने और अपराध की आय और मादक पदार्थों की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है।

जाँच के दौरान, यह पाया गया कि ज़िम्बाब्वे का नागरिक तारिरो मंगवाना, एक भारतीय नागरिक के लिए धन शोधन में शामिल था, जो खच्चर के रूप में काम करने के बदले में यात्रा और रसद की व्यवस्था करता था। ऐसे 8 भारतीय नागरिकों में से 4 को भारत में या विदेशी क्षेत्राधिकारों में मादक पदार्थों की तस्करी या कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठित ड्रग सिंडिकेट और धन शोधन में उसकी संलिप्तता के आधार पर, तारिरो मंगवाना को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। गोवा स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत ने आरोपी को 3 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी पीएमएलए और संबंधित कानूनों के सभी प्रावधानों का उपयोग करके मादक पदार्थों की तस्करी, अनैतिक तस्करी और धन शोधन से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। नशा मुक्त भारत अभियान के एक भाग के रूप में, ईडी मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को उनकी वित्तीय जड़ों पर प्रहार करके ध्वस्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। अवैध आय के शोधन को लक्षित करके और मादक पदार्थों से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करके, ईडी नशा मुक्त भारत के निर्माण के राष्ट्रीय अभियान के उद्देश्य को सुदृढ़ कर रहा है। यह अभियान अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने और ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न आपराधिक आय का पता लगाने, उसकी पहचान करने और उसे कुर्क करने के साथ-साथ एक मजबूत निवारक संदेश देने के ईडी के निरंतर प्रयासों का उदाहरण है।

सभी लाभार्थियों, सुविधाप्रदाताओं की पहचान करने और अवैध गतिविधियों से उत्पन्न संपत्तियों का पता लगाने के लिए मामले में आगे की जाँच जारी है।